राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिसंशोधन प्रार्थना पत्र संख्या 2/2013/बांसवाड़ा
(अपील संख्या – 2232/2006/बांसवाड़ा)

मैसर्स ज्ञायक मार्केटिंग,
ठिकारिया, बांसवाड़ा।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
बांसवाड़ा।

....प्रत्यर्थी

खण्ड़पीठ
श्री जे.आर.लोहिया –सदस्य
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27/06/2014

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी द्वारा कर बोर्ड के अपील संख्या 2232/206/बांसवाड़ा में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2012 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के अधीन प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उक्त अपील में अपीलार्थी व्यवहारी ने कर निर्धारण वर्ष 2003–04 में राज्य के बाहर के "सी" फार्म के समर्थन से चाय अन्तर्राज्जीय संव्यवहार में क्रय कर उसमें राज्य के भीतर से क्रीत कर चुकी चाय को ब्लेंड कर राज्य के बाहर विक्रयार्थ (SOS) प्रेषित किया था। कर निर्धारण अधिकारी ने आयातित चाय की खरीद पर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 11 के अन्तर्गत क्रय कर रूपये 6,31,288/– तथा ब्याज रूपये 1,44,507/– आरोपित किया था। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की अपीलीय अधिकारी ने भी पुष्टि की थी। अपीलीय आदेश को उक्त अपील में चुनौती दिये जाने पर कर बोर्ड की समन्वयपीठ ने राज्य के बाहर से क्रीत माल पर अधिनियम की धारा 11 के तहत क्रय कर आरोपित नहीं होना अवधारित कर व्यवहारी की अपील स्वीकार की गई थी।

अपीलार्थी के अगले कर निर्धारण वर्ष 2004–05 में भी कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तर्राज्जीय संव्यवहार में क्रीत चाय जिसको कि राज्य के भीतर से कर चुकी चाय के साथ ब्लेंड कर राज्य के बाहर विक्रयार्थ प्रेषित करने की स्थिति में अधिनियम की धारा 11 के तहत क्रय कर व ब्याज आरोपित किया था। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील अस्वीकार करने के विरूद्ध कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या 62/2008/बांसवाड़ा में निर्णय दिनांक 16.03.2012 में अपीलार्थी की अपील अस्वीकार कर, कर

लगातार.....2

निर्धारण अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई थी। कर निर्धारण अधिकारी ने निर्णय दिनांक 16.03.2012 में राज्य के बाहर से अन्तर्राज्जीय व्यवहार में "सी" फार्म से समर्थित चाय की खरीद को राज्य के बाहर विक्रयार्थ (Sales Outside the State) प्रेषित करने के आदेश की पुष्टि के आधार पर बाद में अपील संख्या 2232/2006 में दिनांक 26.07.2012 को पारित निर्णय को वैट अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. आवेदक के विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 16.03.2012 में राज्य के बाहर से अन्तर्राज्जीय व्यवहार में "सी" फार्म के समर्थन में क्रय की गई चाय को कर चुकी चाय के साथ ब्लेंड कर राज्य के बाहर SOS करने के बिन्दु पर अधिनियम की धारा 11 के तहत क्रय कर व ब्याज की पुष्टि कर विधिसम्मत निर्णीत किया था लेकिन वर्ष 2003–04 के समान प्रकरण में राज्य के बाहर से क्रीत चाय की खरीद पर अधिनियम की धारा 11 के तहत क्रय कर व ब्याज को अपास्त किया। यह भूल रेकार्ड परिलक्षित होने के कारण कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 26.07.2012 को संशोधित किये जाने हेतु वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी की मूल अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 26.07.2012 जो कि कर निर्धारण वर्ष 2003–04 से संबंधित है से संबंधित अपील को संशोधन हेतु वैट अधिनियम की धारा 33 नियम 71 के तहत फार्म वैट–57 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि यह आवेदन अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रस्तुत किया जा सकता था अतः प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार योग्य है।

अग्रिम कथन किया कि कर बोर्ड की खण्डपीठ का निर्णय दिनांक 26.07.2012 पूर्णतया विधिसम्मत तथा सचेतन मस्तिष्क से पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने के कारण भी संशोधनीय है। वैट अधिनियम की धारा 33 का कार्य क्षेत्र सीमित है जिसमें पुनर्विचार को शामिल नहीं किया जा सकता तर्क के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 मक्कड़ प्लास्टिक के निर्णय का हवाला दिया है।

उक्त आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। आवेदक विभाग द्वारा वर्ष 2003–04 से संबंधित अपील जो कि अधिनियम की धारा 85 के तहत प्रस्तुत की गई थी, को वैट अधिनियम के प्रावधानों के तहत संशोधित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित कर निर्धारण आदेश, अपीलीय आदेश व

लगातार.....3

कर बोर्ड के निर्णय में संशोधन हेतु अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। वैट अधिनियम की धारा 100 के तहत भी निरसित अधिनियम के तहत पारित आदेशों को वैट अधिनियम के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। धारा 100 (2) के तहत प्रतिरक्षा नहीं दी गई है। सुसंगत धारा उद्धरित करना उचित होगा :–

Sec 100 Repeal and Savings

(1).....

(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1)

(a) anything done or any action taken including any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued, authorities or powers conferred, processes issued under the repealed Act shall be deemed to have been done or taken or issued under the provisions of this Act in so far as the same is not inconsistent with the provisions of this Act or rules made there under and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by any thing done or action taken under this Act.

(b) Any authorities or Board constituted under the repealed Act shall be deemed to have been constituted under the provisions of this Act.

(c) The modified limitations or the newly introduced limitations provided in this Act shall apply prospectively and all events occurred and all issues arose prior to the date of commencement of this Act, shall be governed by the limitations provided or the provisions contained in the repealed Act.

अधिनियम की धारा 37 के तहत सुविचारित निर्णय पर पुनर्विचार किया जाना शामिल नहीं किया जा सकता जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 मक्कड़ प्लास्टिक के प्रकरण में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है।

प्रत्यर्थी प्रार्थी द्वारा कर बोर्ड को पूर्व निर्णय दिनांक 16.03.2012 के आधार पर परिशोधन चाहा गया है। इन निर्णय का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस निर्णय के विरूद्ध रिविजन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना बताया। इस पीठ के मत में पूर्व निर्णय दिनांक 16.03.2012 कानून की उचित व्याख्या नहीं करता है। इसलिए इस निर्णय के आधार पर परिशोधन भी विधिसम्मत नहीं होगा।

उक्त विवेचन के आधार पर संशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(अमर सिंह) 27-6-14
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
27/6/14